जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 18.11.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** द्वारा आज दिनांक 18.11.2024 को मु0अ0सं0 880/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 351(2), 61(2), 105 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित 03 नफर अभियुक्तगण 1. रोहित चौधरी पुत्र स्व0 गनेश 2. श्रीराम पुत्र स्व0 बहादुर चौधरी 3. प्रेमशीला पत्नी रोहित निवासीगण नौहट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को डीघा बाईपास के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 15.11.2024 को वादी श्री यसवंस कुमार पुत्र निर्मल चौधरी निवासी नौहट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा वादी, वादी के पिता निर्मल चौधरी व एक अन्य व्यक्ति को दिनांक 15.11.2024 को उक्त अभियुक्तगण सहित कुल 07 लोगों द्वारा सरिया, रॉड, हॉकी, लात घूसों से मारने पीटने, जिसके उपरान्त वादी के पिता निर्मल चौधरी की ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त 03 अभियुक्तों को आज दिनांक 18.11.2024 को डीघा बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री सतीश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, का0 विशाल सिंह, का0 उदयप्रताप सिंह, म0का0 अनुपमा पाण्डेय, हो0गा0 सुनील कुमार मौर्य।

दबिश के दौरान वारण्टी 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **मेंहदावल पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता संतोष पुत्र प्रहलाद निवासी डड़िया कला थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा दो पक्षो मारपीट में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत जोगीपुर से इवेंट सं0 44214 द्वारा कालर ने पैसे के लेनदेन की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद/मारपीट होने के कारण 02 लोग (1. गायत्री पत्नी रामानन्द 2. पप्पू पुत्र रामानन्द ग्राम जोगीपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल लोगो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए लोगो को ईलाज हेतु सी0एच0सी मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* का0 उपेन्द्र कुमार, का0 मुकेश पाल, हो0चा0 राजेश कुमार।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 77 वाहनों से 1,15,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 77 वाहनों से 1,15,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के मामले में 01 अदद मोबाईल फोन के साथ बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** द्वारा गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 825/2024 धारा 305,331(4) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद से सम्बन्धित बाल अपचारी को 01 अदद मोबाईल फोन के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 28.10.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध दिनांक 27.10.2024 को सुबह करीब 03:00 बजे वादी का मोबाईल फोन चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 18.11.2024 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

***बरामदगी का विवरण*–** 01 अदद मोटर मोबाईल फोन।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री दिलीप कुमार सिंह, का0 संजय प्रसाद, का0 अनूप कुमा शर्मा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित बाल अपचारी गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 876/2024 धारा 137(2),64(1)61(2) व 5L/6 पाक्सो एक्ट तथा 67 आईटी एक्ट के मामले मे वांछित बाल अपचारी को मगहर बांध के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त बाल अपचारी द्वारा दिनांक 25.10.2024 को वादिनी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व अश्लील वीडिओ/फोटो बनाने के संबंध में वादिनी द्वारा दिनांक 13.11.2024 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 18.11.2024 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध श्री रामेश्वर यादव, वरि0उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, का0 राजू गोंड।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 263/2024 धारा 137(2),87,64(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 नसीम पुत्र मो0 असलम सई बुजुर्ग थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 19.09.2024 को मेहदावल रोड बडहरा मोड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 18.08.2024 को थाना बखिरा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर साक्ष्य संकलन करते हुए मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, हे0का0 रजनीश कुमार पाठक,का0 अंगद यादव, का0 प्रवीण यादव।